

बिहार गजट असाधारण अंक

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 भाद्र 1937 (श0) (सं0 पटना 971) पटना, वृहस्पतिवार, 27 अगस्त 2015

fof/k foHkkx

∨f/kl µpuk, a 27 अगस्त 2015

सं० एल०जी०—1—16 / 2015 / लेजः 126—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्निलिखित अधिनियम, जिसपर महामिहम राज्यपाल दिनांक 24 अगस्त 2015 को अनुमित दे चुके है, इसके द्वारा सर्व—साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता हैं :—

बिहार-राज्यपाल के आदेश से.

eukst dækj,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 [बिहार अधिनियम 16,2015]

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

प्रस्तावना:— चूँकि, राज्य सरकार ने संकल्प संख्या 1846 दिनांक 21.11.2008 के द्वारा वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने तथा डिग्री महाविद्यालय सहित संस्थानों को अनुदान देने का निर्णय लिया है। कालान्तर में संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के शिक्षकों के बीच अनुदान राशि के वितरण के क्रम में ऐसा देखा गया है कि उक्त कोटि के महाविद्यालयों में लंबी अविध से कार्यरत अनेक शिक्षकों की नियुक्ति शासी निकाय द्वारा की गई थी। हालांकि, कितपय कारणों से उक्त कोटि के शिक्षकों के मामले में तत्कालीन बिहार कॉलेज सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त नहीं की गई थी

और, चूँकि, तत्कालीन बिहार कॉलेज सेवा आयोग अस्तित्व में नहीं है एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) यथा अद्यतन संशोधित में संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के निमित्त महाविद्यालय स्तर पर अनुशंसा देने हेतु एक नई संस्था यथा ''चयन समिति'' का प्रावधान किया गया है.

चूँिक, अधिनियम के प्रावधानों को एक बार के लिए शिथिल किये बगैर, चयन समिति के लिए व्यक्तिवार मामलों की समीक्षा करना व्यावहारिक रूप में संभव नहीं है,

चूँकि, लोकहित में चयन समिति को बिहार कॉलेज सेवा आयोग की अनुशंसा के बगैर सभी कार्यरत् शिक्षकों के मामले की जाँच करने हेत् सशक्तिकरण के लिए प्रावधान करना आवश्यक है।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

- **1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।—(**1) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- 2. बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा 57 क में संशोधन— (बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा 57 क की उपधारा—(5) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा—(6) जोड़ी जाएगी :—
- "(6) इस अधिनियम के अधीन रहते हुए, चयन समिति, संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में दिनांक 19.04.2007 के पूर्व बिहार कॉलेज सेवा आयोग की अनुशंसा के बगैर नियुक्त शिक्षकों के मामले की समीक्षा, ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति के समय लागू अर्हता के आधार पर दिनांक 31.03.2017 तक पूरी कर लेगी, अन्यथा ऐसी नियुक्तियाँ वैध नहीं मानी जायेंगी। तत्पश्चात् महाविद्यालय की शासी निकाय चयन समिति द्वारा अनुशंसित नामों को स्वीकार करेगी, जिसे संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाएगा।

दिनांक 31.03.2017 तक राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान की राशि का वितरण, संबंधित संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों के बीच, उनकी शासी निकाय द्वारा किया जायेगा।''

> बिहार-राज्यपाल के आदेश से, eukst deki,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

27 अगस्त 2015

सं० एल०जी०—1—16 / 2015 / लेजः 127—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 24 अगस्त 2015 को अनुमत बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद—348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

eukst dækj

सरकार के संयुक्त सचिव ।

The Bihar State Universities (Amendment) Act, 2015 [Bihar Act 16,2015]

> AN ACT

To Amend the Bihar State Universities Act, 1976 (Bihar Act 23, 1976)

Preamble:-Whereas, the State Government has taken a policy decision to abolish the Vitta Rahit Shiksha Niti and to provide grants to the institutions including degree colleges vide resolution no. 1846, dated 21.11.2008. In course of distribution of grants amongst the teachers of the affiliated

degree colleges, it has been noticed that many of the teachers working in such colleges for long duration were appointed by the Governing body of the colleges. However, erstwhile Bihar College Service Commission's recommendation in respect of them was not obtained for various reasons;

And, whereas, since erstwhile Bihar College Service Commission has ceased to exist and a new body namely Selection Committee at college level has been introduced for making recommendation with regard to the appointment of teachers of the affiliated degree colleges under the Bihar State Universities Act, 1976 (Bihar Act 23, 1976) as amended from time to time;

Whereas, it is practically not possible for the Selection Committee to scrutinise individual cases unless one time relaxation is permitted.

Whereas, it is necessary in public interest to provide for empowerment to the Selection Committee to scrutinise the cases of all those working teachers appointed without the recommendation of the Bihar College Service Commission.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty sixth year of the Republic of India as follows:-

- *1. Short title, extent and commencement.* (1) This Act may be called The Bihar State Universities (Amendment) Act, 2015.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
 - (3) It shall come into force at once.
- 2. Amendment in Section 57A of the Bihar Act 23, 1976.- In the Bihar State Universities Act, 1976 (Bihar Act 23, 1976), the following new sub-section (6) shall be added after sub-section (5) of Section 57A of Bihar Act 23 of 1976:-
- "(6) The Selection Committee, subject to this Act, will complete the scrutiny of the cases of the teachers of affiliated degree colleges appointed prior to 19.04.2007, without the recommendation of the Bihar College Service Commission on the basis of qualifications in force at the time of appointment of such teachers upto 31.03.2017, otherwise such appointments will not be treated valid. Thereafter the Governing Body of the college will accept the names recommended by the Selection Committee, which shall be finally approved by the concerned University.

Distribution of the amount of grant sanctioned by the State Government will be made amongst the teachers in the concerned affiliated degree colleges by its Governing Body upto 31.03.2017."

By order of the Governor of Bihar, MANOJ KUMAR, Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 971-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in